/

केंद्रीय कर और सेवा कर आयुक्त, कानपुर

बनाम

एम/एस. ए. आर. पॉलिमर पी. वी. टी. लिमिटेड। ईटीसी। (2019 की सिविल अपील संख्या 9569-70) 21 मार्च, 2023

/

[कृष्णा मुरारी और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 -धारा 4 (ए)-उत्तरदाता द्वारा बेची गई वस्तुओं की व्याख्या, यदि अधिसूचना यू/एस के दायरे में कर लाभ का दावा करने के लिए पात्र है।4(ए)-आयोजितः जबकि आक्षेपित बिक्री में माल को यू/एस अधिसूचित किया गया था।4(क) राजपत्र में एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से,2011 के नियमों के आर. 3 (बी) में संस्थागत उपभोक्ताओं को बिक्री को इसके दायरे से छूट दी गई है-वर्तमान मामले में, खरीदार सैन्य और अर्धसैनिक संस्थान हैं, जो प्रतिवादी से थोक में सामान खरीदते हैं, और फिर इसे अपने कर्मचारियों को वितरित करते हैं-इस प्रकार, खरीदार सैन्य और अर्धसैनिक संस्थान औद्योगिक उपभोक्ता बन जाते हैं, क्योंकि वे अंतिम उपभोक्ता और मूल खरीदार के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं-खरीदार संस्थागत उपभोक्ता होने के नाते 2011 के नियमों से छूट प्राप्त हैं।4(ए) उक्त नियमों की प्रयोज्यता को अनिवार्य करता है, लेनदेन स्वचालित रूप से शरण का दावा करने के लिए अयोग्य हो जाता है।4(ए)-इसके अलावा, जैसा कि जयंती फूड्स मामले में स्पष्ट किया गया है, एक उपभोक्ता उत्पाद का अंतिम उपभोक्ता है, न कि मध्यस्थ-जहां खरीदार संस्थान को उपभोक्ता नहीं माना जाता है, तो बिक्री को भी अधिनियम के अनुसार खुदरा बिक्री नहीं माना जा सकता है-चूंकि आक्षेपित बिक्री अधिनियम के अनुसार खुदरा बिक्री नहीं है, इसलिए प्रतिवादी पर बेचे गए सामान पर एमआरपी लगाने का कोई विधि का आदेश नहीं है, और इसलिए उक्त आक्षेपित लेनदेन यू/एस लाभ का दावा नहीं कर सकता है।4(ए)-सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने आक्षेपित आदेश-लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011-पारित करके विधि में त्रुटि की।आर. 3 (बी)-कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009।

/

/

/

/

/

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :**1.1** अधिनियम की धारा **4 (**ए**)** और जयंती खाद्य प्रसंस्करण निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत माल का एमआरपी आधारित मूल्यांकन आकर्षित करने के लिए, माल को अधिनियम की धारा **4 (**ए**)** के अंतर्गत अधिसूचित किया जाना चाहिए और

/

1147 ए.

1148 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

कि ऐसी वस्तुओं को भार और माप मानक **(**पैकेज्ड जिंस**)** नियम, **1977** के दायरे में आना चाहिए, जिसे अब कानूनी माप विज्ञान **(**पैकेज्ड जिंस**)** नियम, **2011** द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित किया गया है।वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों के अनुसार अर्धसैनिक और सेना के साथ बिक्री में प्रवेश किया।जबकि आक्षेपित बिक्री में वस्तुओं को राजपत्र में एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की धारा **4 (**ए**)** के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, सबसे अधिक प्रासंगिक कानूनी माप विज्ञान **(**पैकेज्ड कमोडिटीज**)** नियम, **2011** का नियम **3 (**बी**)** है जो संस्थागत उपभोक्ताओं को बिक्री को इसके दायरे से छूट देता है।**[**पैरा **7,8] [1152-**सी**-**एफ**]**

/

/

जयंती खाद्य प्रसंस्करण प्रा. लि. बनामके आयुक्त

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राजस्थान (2007) 8 एससीसी 34:[2007] 9 एस. सी. आर. 221-निर्भर।

1.2 इस मामले में खरीदार सैन्य और अर्धसैनिक संस्थान हैं, जो दोनों प्रतिवादी से थोक में सामान खरीदते हैं, और फिर इसे अपने कर्मचारियों को वितरित करते हैं।इस पूरी प्रक्रिया में माल की बिक्री से लेकर माल तक वास्तव में अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जा रहा है, खरीदार सैन्य और अर्धसैनिक संस्थान औद्योगिक उपभोक्ता बन जाते हैं, क्योंकि वे अंतिम उपभोक्ता और मूल खरीदार के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं।खरीदार के संस्थागत उपभोक्ता होने के कारण उन्हें कानूनी माप विज्ञान **(**पैकेज्ड कमोडिटीज**)** नियम, **2011** से छूट दी गई है और चूंकि अधिनियम की धारा **4 (**ए**)** उपरोक्त नियमों की प्रयोज्यता को अनिवार्य करती है, इसलिए लेन-देन स्वतः ही अधिनियम की धारा **4 (**ए**)** के अंतर्गत शरण

का दावा करने के लिए अयोग्य हो जाता है। **[**पैरा **9,10] [1152-**एफ**-**एच**] 1.3** अधिनियम की धारा **4 (**ए**)** के अंतर्गत शरण लेने के लिए माल की बिक्री के लिए और जयंती निर्णय में बिंदु **(iii)** की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए**,** कानूनी माप विज्ञान अधिनियम**, 2009** या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में पैकेज पर उनके खुदरा मूल्य से संबंधित ऐसी वस्तुओं की कीमत घोषित करने की आवश्यकता होनी चाहिए।सरल शब्दों में**,** इसका मतलब यह होगा कि अधिनियम की धारा **4 (**ए**)** के अंतर्गत मूल्यांकन लाभ लेने के लिए माल की बिक्री के लिए**,** यह एक खुदरा बिक्री होनी चाहिए**,** और विधि का एक आदेश होना चाहिए जो विक्रेता को खुदरा मूल्य लगाने का निर्देश देता है ताकि बिक्री को खुदरा बिक्री माना जा सके। किसी वस्तु पर केवल एम**.** आर**.** पी**.** का चिपकाना इसे ए के योग्य नहीं बनाता है।

/

/

/

/

/

1149

केंद्रीय कर और सेवा कर आयुक्त, कानपुर बनाम एम./एस. ए. आर. पॉलिमर पी. वी. टी. लिमिटेड। ईटीसी।

अधिनियम की धारा **4 (**ए**)** के अंतर्गत लाभ का दावा करें**,** और इस तरह के एम**.** आर**.** पी**.** को लगाने के लिए एक "आवश्यकता" होनी चाहिए। **[**पैरा **12,13] [1153-**बी**-**डी**]**

निर्णय **1** निर्णय **.**निर्णय **4** निर्णय निर्णय जनिर्णय ैनिर्णय सनिर्णय ानिर्णय निर्णय कनिर्णय िनिर्णय निर्णय जनिर्णय यनिर्णय ंनिर्णय तनिर्णय ीनिर्णय निर्णय फनिर्णय ूनिर्णय डनिर्णय ्निर्णय सनिर्णय निर्णय जनिर्णय जनिर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय टनिर्णय निर्णय दनिर्णय ्निर्णय वनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय ानिर्णय निर्णय सनिर्णय ्निर्णय पनिर्णय षनिर्णय ्निर्णय टनिर्णय निर्णय कनिर्णय िनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय निर्णय गनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय निर्णय हनिर्णय ैनिर्णय **,**निर्णय निर्णय एनिर्णय कनिर्णय निर्णय उनिर्णय पनिर्णय भनिर्णय ोनिर्णय कनिर्णय ्निर्णय तनिर्णय ानिर्णय निर्णय उनिर्णय तनिर्णय ्निर्णय पनिर्णय ानिर्णय दनिर्णय निर्णय कनिर्णय ानिर्णय निर्णय अनिर्णय ंनिर्णय तनिर्णय िनिर्णय मनिर्णय निर्णय उनिर्णय पनिर्णय भनिर्णय ोनिर्णय कनिर्णय ्निर्णय तनिर्णय ानिर्णय निर्णय हनिर्णय ैनिर्णय **,**निर्णय निर्णय ननिर्णय निर्णय कनिर्णय िनिर्णय निर्णय मनिर्णय धनिर्णय ्निर्णय यनिर्णय सनिर्णय ्निर्णय थनिर्णय ।निर्णय हालाँकि**,** वर्तमान मामले में**,** खरीदार संस्थान**,** मध्यस्थ हैं**,** जो उक्त माल की खरीद के बाद**,** इसे अंतिम उपभोक्ता को वितरित करते हैं।ऐसी स्थिति में**,** जहां खरीदार संस्था को उपभोक्ता नहीं माना

जाता है, बिक्री को भी अधिनियम के अनुसार खुदरा बिक्री नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, चूंकि आक्षेपित बिक्री अधिनियम के अनुसार खुदरा बिक्री नहीं है, इसलिए प्रतिवादी पर बेचे गए सामान पर एम. आर. पी. लगाने का कोई विधि का आदेश नहीं है, और इसलिए उक्त आक्षेपित लेनदेन अधिनियम की धारा **4 (**ए**)** के अंतर्गत लाभ का दावा नहीं कर सकता है। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने दिनांकित **09.01.2019** के आक्षेपित आदेश को पारित करके विधि में एक त्रुटि की और प्रतिवादी को एक दायित्व के अंतर्गत संबंधित कर प्राधिकरण को अंतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।**[**पैरा **15,16** और **19]** **[1153-**ई**-**जी**; 1154-**सी**]**

/

/

/

संदर्भित निर्णय

[2007] 9 एससीआर **221**

पर विश्वास किया

पैरा **6**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2019 की सिविल अपील संख्या 9569-70।

/

2017 के ए. एन. सं. 70618 और 70445 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद के दिनांक 09.01.2019 के निर्णय और आदेश से।

/

एन. वेंकटरमण, ए. एस. जी., चंद्र शेखर, मुकेश कुमार मारोरिया, जोहेब हुसैन, रजत नायर, वी. सी. भारती, एच. आर. राव, अशोक पाणिग्रही, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी, जे।

/

वर्तमान अपीलें सी. ई. एस. टी. ए. टी., इलाहाबाद द्वारा अपील Nos.E/70445/2017 और ई/70618/2017 में आदेश Nos.A 70266-20267/2019-ई. एक्स. (डी. बी.) में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 09.01.2019 के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसके तहत प्रतिवादी की याचिका को अनुज्ञात गई थी।

/

/

तथ्य

2. संक्षेप में, इन अपीलों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैंः

I. प्रतिवादी संख्या 1, मेसर्स ए. आर. पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड एक निर्माता है जो जूतों के निर्माण और रक्षा/अर्धसैनिक बलों को उनके उपयोग के लिए थोक में बिक्री में लगा हुआ है।

/

II. डी. जी. सी. ई. आई. को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि प्रतिवादी अधिसूचना संख्या 12/2012-सी. ई. दिनांक 17/03/12 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 (ए) के अंतर्गत लाभ उठा रहा था, जो खुदरा में बेचे जाने वाले जूतों तक सीमित है। उक्त अधिसूचना रुपये से अंतर्गत के जूते की खुदरा बिक्री के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान को पूरी तरह से छूट देती है। 500/- और केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 6 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जहां जूतों की दर 500/- रुपये के बीच है। 501/- से रु। 1000/-

/

/

III. उपर्युक्त खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, डी. जी. सी. ई. आई. अधिकारियों की एक टीम ने प्रतिवादी के कारखाने परिसर का दौरा किया, जहां यह पाया गया कि प्रतिवादी पक्षों के बीच किए गए अनुबंध के अनुसार जूते का निर्माण कर रहा था, और अनुबंध के अंतर्गत जूते की बिक्री और खरीद के लिए एक दर तय की गई थी।यह भी पाया गया कि प्रतिवादी केवल उपर्युक्त अधिसूचना और अधिनियम की धारा 4 (ए) का लाभ उठाने के लिए उक्त जूतों के इनसोल पर एमआरपी स्टिकर छाप रहा था और संलग्न कर रहा था।

/

IV. प्रतिवादी को 05.02.2016 पर एक मांग-कारण-सूचना जारी की गई थी जिसमें उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर आयुक्त को कारण दिखाने की आवश्यकता थी। V. इसके बाद, Ld. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी के खिलाफ एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि उपरोक्त अधिसूचना का लाभ प्रत्यर्थी द्वारा बेचे गए जूतों तक नहीं फैला है, और इसलिए प्रत्यर्थी को पहले से भुगतान किए गए कर और भुगतान किए जाने वाले कर के बीच अंतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। प्रतिवादी कंपनी के निदेशक पर भी जुर्माना लगाया गया था।

/

/

/

1151

केंद्रीय कर और सेवा कर आयुक्त, कानपुर बनाम एम./एस. ए. आर. पॉलिमर पी. वी. टी. लिमिटेड। ईटीसी। [कृष्णा मुरारी, जे।]

/

VI. उपर्युक्त आदेश से व्यथित प्रतिवादी ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. में एक अपील दायर की, और दिनांक 09.01.2019 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय को पलट दिया और कहा कि उपर्युक्त अधिसूचना का लाभ इसमें प्रतिवादी को मिलता है।इसके खिलाफ अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की है।

/

विश्लेषण

3. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले वकीलों को बहुत विस्तार से सुना है।हालाँकि, हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि प्रत्यर्थी और प्रत्यर्थी के वकील को कई अवसर दिए जाने और मामले को कई बार बुलाए जाने के बावजूद, कोई भी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

/

4. प्रत्यर्थी, अधिनियम की धारा 4 (ए) के अंतर्गत कर निर्धारण कम होने के कारण, उसी के अंतर्गत लाभ की मांग कर रहा है, हालांकि, अधिनियम की धारा (4) के अंतर्गत मूल्यांकन अधिक होने के कारण, अपीलार्थी इसके अंतर्गत मूल्यांकन करने का दावा कर रहा है।इसलिए यह अपील मूल रूप से अधिनियम की धारा 4 (ए) की व्याख्या पर निर्भर करती है।

/

5. आज हमारे सामने जो प्राथमिक प्रश्न उठाया गया है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी द्वारा बेचा गया माल केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 (ए) के अंतर्गत उपर्युक्त अधिसूचना के दायरे में कर लाभ का दावा करने के योग्य है?

/

6. जयंती फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में v.केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, राजस्थान 1, इस न्यायालय ने निर्णय लेते हुए

इसी तरह के एक मुद्दे पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 (ए) के मूल्यांकन के अंतर्गत वस्तुओं को शामिल करने के लिए, इसे पांच कारकों का पालन करना होगा।निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

/

"....पुनरावृत्ति की कीमत पर भी निम्नलिखित कारक होंगेः

/

अधिनियम की धारा 4-ए (1) और (2) में माल को शामिल करनाः((i) माल उत्पाद शुल्क योग्य होना चाहिए।

((ii) वे ऐसे होने चाहिए जो पैकेज में बेचे गए हों।

1 (2007) 8 एससीसी 34 ए

/

(iii) एस**.** डब्ल्यू**.** एम**.** अधिनियम में आवश्यकता होनी चाहिए या

पैकेज पर उनके खुदरा मूल्य से संबंधित ऐसी वस्तुओं की कीमत घोषित करने के लिए उसके तहत बनाए गए नियम या कोई अन्य विधि **;**

((iv) केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी वस्तुओं को निर्दिष्ट किया होगा।

/

(v) ऐसी वस्तुओं का मूल्यांकन पैकेज पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के अनुसार होगा, जो कटौती की राशि से कम होगा।यदि ये सभी कारक किसी भी माल पर लागू होते हैं, तो केवल माल का मूल्यांकन और शुल्क का आकलन अधिनियम की धारा 4-ए के अंतर्गत होगा।

/

7. अधिनियम के 4 (ए) पर सेक्टी के अवलोकन और उपर्युक्त निर्णय से पता चलता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत माल के एमआरपी आधारित मूल्यांकन को आकर्षित करने के लिए, माल को अधिनियम की धारा 4 (ए) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाना चाहिए और यह कि ऐसी वस्तुएं वजन और माप (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 1977 के मानकों के दायरे में आनी चाहिए, जिसे अब कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित किया गया है।

/

8. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों के अनुसार अर्धसैनिक और सेना के साथ बिक्री में प्रवेश किया।जबकि आक्षेपित बिक्री में वस्तुओं को राजपत्र में एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की धारा 4 (ए) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, हमारे लिए जो सबसे अधिक प्रासंगिक है वह कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 का नियम 3 (बी) है जो संस्थागत उपभोक्ताओं को बिक्री को इसके दायरे से छूट देता है।

/

9. इस मामले में खरीदार सैन्य और अर्धसैनिक संस्थान हैं, जो दोनों प्रतिवादी से थोक में सामान खरीदते हैं, और फिर इसे अपने कर्मचारियों को वितरित करते हैं।इस पूरी प्रक्रिया में माल की बिक्री से लेकर माल तक वास्तव में अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जा रहा है, खरीदार सैन्य और अर्धसैनिक संस्थान औद्योगिक उपभोक्ता बन जाते हैं, क्योंकि वे अंतिम उपभोक्ता और मूल खरीदार के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं।

/

/

10. खरीदार के संस्थागत उपभोक्ता होने के कारण उन्हें कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 से छूट दी गई है और चूंकि अधिनियम की धारा 4 (ए) उपरोक्त नियमों की प्रयोज्यता को अनिवार्य करती है, इसलिए लेन-देन स्वतः ही अधिनियम की धारा 4 (ए) के अंतर्गत शरण का दावा करने के लिए अयोग्य हो जाता है।

/

1153

केंद्रीय कर और सेवा कर आयुक्त, कानपुर बनाम एम./एस. ए. आर. पॉलिमर पी. वी. टी. लिमिटेड। ईटीसी। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

/

11. इसके अलावा, भले ही हम यह मान लें कि कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 की धारा 3 (बी) वर्तमान खरीदार पर लागू नहीं होती है, फिर भी आक्षेपित बिक्री जयंती फूड्स के निर्णय के बिंदु (iii) की कसौटी पर विफल रहती है।

12. अधिनियम की धारा 4 (ए) के अंतर्गत शरण लेने और जयंती निर्णय में बिंदु (iii) की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए माल की बिक्री के लिए, कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में पैकेज पर उनके खुदरा मूल्य से संबंधित ऐसी वस्तुओं की कीमत घोषित करने की आवश्यकता होनी चाहिए।सरल शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि

अधिनियम की धारा 4 (ए) के अंतर्गत मूल्यांकन लाभ लेने के लिए माल की बिक्री के लिए, यह एक खुदरा बिक्री होनी चाहिए, और विधि का एक आदेश होना चाहिए जो विक्रेता को खुदरा मूल्य लगाने का निर्देश देता है ताकि बिक्री को खुदरा बिक्री माना जा सके।13. इसका यह भी अर्थ होगा कि किसी वस्तु पर केवल एम. आर. पी. का चिपकाना उसे अधिनियम की धारा 4 (ए) के अंतर्गत लाभ का दावा करने के योग्य नहीं बनाता है, और इस तरह के एम. आर. पी. के चिपकाने के लिए एक "आवश्यकता" होनी चाहिए। इसलिए, भले ही माल में एम. आर. पी. चिपकाया गया हो, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या इस तरह का चिपकाना विधि द्वारा अनिवार्य था।

/

/

/

14. धारा 3 (बी) के माध्यम से दी गई छूट के अलावा, जो स्वचालित रूप से बेची गई वस्तुओं पर एमआरपी लगाने के लिए विधि के जनादेश को हटा देती है, उक्त बिक्री को अभी भी खुदरा बिक्री नहीं माना जा सकता है क्योंकि वस्तुओं की बिक्री एक उपभोक्ता को की जानी चाहिए।

/

निर्णय 1 निर्णय 5 निर्णय .निर्णय निर्णय जनिर्णय ैनिर्णय सनिर्णय ानिर्णय निर्णय कनिर्णय िनिर्णय निर्णय जनिर्णय यनिर्णय ंनिर्णय तनिर्णय ीनिर्णय निर्णय फनिर्णय ूनिर्णय डनिर्णय ्निर्णय सनिर्णय निर्णय जनिर्णय जनिर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय टनिर्णय निर्णय दनिर्णय ्निर्णय वनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय ानिर्णय निर्णय सनिर्णय ्निर्णय पनिर्णय षनिर्णय ्निर्णय टनिर्णय निर्णय कनिर्णय िनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय निर्णय गनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय निर्णय हनिर्णय ैनिर्णय ,निर्णय निर्णय एनिर्णय कनिर्णय निर्णय उनिर्णय पनिर्णय भनिर्णय ोनिर्णय कनिर्णय ्निर्णय तनिर्णय ानिर्णय निर्णय उनिर्णय तनिर्णय ्निर्णय पनिर्णय ानिर्णय दनिर्णय निर्णय कनिर्णय ानिर्णय निर्णय अनिर्णय ंनिर्णय तनिर्णय िनिर्णय मनिर्णय निर्णय उनिर्णय पनिर्णय भनिर्णय ोनिर्णय कनिर्णय ्निर्णय तनिर्णय ानिर्णय निर्णय हनिर्णय ैनिर्णय ,निर्णय निर्णय ननिर्णय निर्णय कनिर्णय िनिर्णय निर्णय मनिर्णय धनिर्णय ्निर्णय यनिर्णय सनिर्णय ्निर्णय थनिर्णय ।निर्णय हालाँकि, वर्तमान मामले में, खरीदार संस्थान, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मध्यस्थ हैं, जो उक्त माल की खरीद के बाद, इसे अंतिम उपभोक्ता को वितरित करते हैं।

/

16. ऐसी स्थिति में, जहां खरीदार संस्था को उपभोक्ता नहीं माना जाता है, बिक्री को भी अधिनियम के अनुसार खुदरा बिक्री नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, चूंकि आक्षेपित बिक्री अधिनियम के अनुसार खुदरा बिक्री नहीं है, इसलिए प्रतिवादी पर बेचे गए सामान पर एम.

आर. पी. लगाने का कोई विधि का आदेश नहीं है, और इसलिए उक्त आक्षेपित लेनदेन अधिनियम की धारा 4 (ए) के अंतर्गत लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

/

17. पुनः, दोहराव के लिए, हम यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण पाते हैं कि केवल एम. आर. पी. का चिपकाना माल को अधिनियम की धारा 4 (ए) के अंतर्गत शरण पाने के योग्य नहीं बनाता है, और इस तरह के चिपकाने के साथ जो आवश्यक है वह विधि का एक आदेश है जो विक्रेता को इस तरह के एम. आर. पी. को चिपकाने का निर्देश देता है।

/

18. इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायाधिकरण ने आक्षेपित निर्णय पारित करने के अपने तर्क में केवल इस बात पर विचार किया कि क्या प्रश्न वस्तुओं को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, और जयंती खाद्य निर्णय द्वारा निर्धारित अन्य चार प्रासंगिक शर्तों पर विचार नहीं किया।अन्य प्रासंगिक विचारों पर विचार नहीं करके, यह हमारी राय है कि न्यायाधिकरण ने विधि में एक गंभीर त्रुटि की है, और इसलिए आक्षेपित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है।

/

19. उपर्युक्त तथ्यों और चर्चाओं को ध्यान अंतर्गत रखते हुए, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने दिनांकित 09.01.2019 का आक्षेपित आदेश पारित करके विधि अंतर्गत एक त्रुटि की और प्रतिवादी को संबंधित कर प्राधिकरण को अंतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

/

20. तदनुसार, इन अपीलों की अनुज्ञात जाती है।हालाँकि, तथ्यों और परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुज्ञात गई।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

/

/

/

/

/